न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 132/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/194

प्रार्थीगणः–

ग्राम गुन्दोज के निवासीयों के प्रतिनिधीगण –

1. विजयसिंह पुत्र जोवतसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी आसन की ढाल, गुन्दोज तहसील व जिला पाली।
2. पवनस्वरूप शर्मा पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बडी ब्रहम्मपुरी, गुन्दोज, तहसील व जिला पाली
3. अर्जुनसिंह पुत्र मनाजी जाति रावणा राजपूत निवासी भाटीयों का बास, गुन्दोज, तहसील व जिला पाली
4. मुन्नालाल पुत्र दलीचन्द जाति सुथार निवासी इन्द्रा चौक, गुन्दोज तहसील व जिला पाली
5. बाबूसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी आसन का फल्ला, गुन्दोज, तहसील व जिला पाली (राज)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मदनलाल पुत्र चमनाराम, जाति घांची, निवासी ग्राम गुन्दोज तहसील व जिला पाली
2. ग्राम पंचायत गुन्दोज जरिये सरपंच

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/03/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत गुन्दोज द्वारा मिसल संख्या 131/2008–09, संकल्प संख्या 05 दिनांक 25.07.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 8787 दिनांक 25.07.2009 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम गुन्दोज के मूल निवासी है। ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों के विरूद्ध अप्रार्थी के पक्ष में सार्वजनिक रास्ते की भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय पाली में विचाराधीन वाद में प्राप्त मौका कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार भी अप्रार्थी ने रास्ते की भूमि पर पूर्व दिशा में 18 फीट एवं पश्चिम दिशा में करीब 3 फीट अतिक्रमण कर रखा है। जैर निगरानी पट्टे पर मिसल संख्या 131 अंकित है जबकि जैर निगरानी पट्टे की मिसल ही नहीं बनी है और प्रस्ता वंसख्या 5 में भी मिसल संख्या 130 तक ही अंकित है। साथ ही पट्टा बुक में पट्टा भी नहीं है। इसके अतिरिक्त सरपंच ने भी अपने शपथ पत्र में यह जाहिर किया कि जैर निगरानी पट्टा उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की है इसलिये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के अनुसारी जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि का है जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त पट्टे की भूमि आबादी की है, जिसका कुछ भाग नदी में आ रहा है। साथ ही उक्त रिपोर्ट में भी मुस्तकिल बिन्दुओं की भी जानकारी नहीं है। अप्रार्थी का जैर निगरानी पट्टा रोड की सीमा से बहुत दूर है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। हस्तगत प्रकरण में सरपंच ने भी शपथ पत्र पर लिखकर दिया है कि पट्टा विधिनुसार है। जैर निगरानी पट्टे की पट्टा बुक विकास अधिकारी के पास जमा है। इसलिये बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत गुन्दोज द्वारा मिसल संख्या 131/2008–09, संकल्प संख्या 05 दिनांक 25.07.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 8787 दिनांक 25.07.2009 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक रास्ते की भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये उज्र किया कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय पाली प्रकरण संख्या 93/2022 मदनलाल बनाम विजयसिंह में प्राप्त मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 06.09.2022 अनुसार खसरा संख्या 1013 किस्म गै.मु.आबादी भूमि में विवादित भूमि EIJB की भूजा का नाप E से I 80 फीट, B से J 79 फीट, B से E 12 फीट तथा I से J 12 फीट है तथा उक्त विवादित भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 1010 किस्म गै.मु.नदी की भूमि है जबकि जैर निगरानी पट्टे में उक्त भूखण्ड की भूजा का नाप पूर्व दिशा में 30 फीट, पश्चिम दिशा में 15 फीट, उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा में 80 फीट है। इससे यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा पूर्व दिशा में करीब 18 फीट तथा पश्चिम दिशा में करीब 3 फीट अधिक भूमि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

का पट्टा आबादी भूमि से इतर खसरा संख्या 1010 किस्म गै.मु.नदी की भूमि पर जारी किया है, जो विधिनुसार नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161– विक्रय की शिक्त से आबादी भूमि के कतिपय प्रवर्गों का अपवर्जन – पंचायत सर्किल के भीतर चारागाह भूमियों का और आबादी के विस्तार के लिए अकृष्य बंजर भूमियों का आंवटन, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से शासित होगा। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत भी गैर मुमकिन नदी किस्म की भूमि, अन्य प्रयोजनार्थ हेतु प्रतिबंधित है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध उम्मेदमल लखारा के शपथ पत्र अनुसार वह वर्ष 2005 से 2010 तक ग्राम पंचायत गुन्दोज के सरपंच निर्वाचित थे तथा उन्होनें अपने कार्यकाल में जैर निगरानी पट्टा जारी नहीं किया है एवं अप्रार्थी के पक्ष में जो पट्टा जारी किया हुआ है वह फर्जी एवं कुटरचित है, जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों को बल देता है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव 5 दिनांक 25.07.2009 में अंकितानुसार "बैठक में मिसल संख्या 103 से 130 वर्ष 2008–09 पेश की जिस पर सर्व सहमति से फैसल किया।" परन्तु जैर निगरानी पट्टे की मिसल 131/2008–09 है, जो सन्देहास्पद प्रतीत होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि प्रतिबंधित है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट एवं जैर निगरानी पट्टे की प्रति के अवलोकन से भी यह जाहिर है कि हस्तगत पट्टा प्रतिबंधित भूमि में जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. समग्रतः यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत गुन्दोज द्वारा मिसल संख्या 131/2008–09, संकल्प संख्या 05 दिनांक 25.07.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 8787 दिनांक 25.07.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)